

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5928/2021

1. मैसर्स फेयरडील शिपिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जी-9, रत्ना सागर, एमएसबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर अपने अधिकृत व्यक्ति श्री विनोद कुमार शर्मा के माध्यम से।
2. विनोद कुमार शर्मा, पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा, तत्कालीन निदेशक मैसर्स फेयरडील शिपिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जी-9, रत्ना सागर, एमएसबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।
3. ओडिसी इम्पोर्ट्स, लिंक जालूपुरा, एम आई रोड, जयपुर इसके मालिक श्री पवन कुमार मोदी के माध्यम से।
4. मैसर्स स्काईवे कॉर्पोरेशन, लिंक जालूपुरा, एम आई रोड, जयपुर, इसके मालिक श्री पवन कुमार मोदी के माध्यम से।
5. मेसर्स त्रिवेणी इंटरनेशनल, फ्लैट संख्या ए-503, 210, जेसोर रोड, कोलकाता-700089 अपने भागीदार श्री पवन कुमार मोदी के माध्यम से।
6. पवन कुमार मोदी पुत्र श्री प्रभु दयाल मोदी, फ्लैट संख्या ए-503, 210, जेसोर रोड, कोलकाता-700089।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), एनसीआर बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्कल, सी स्कीम, जयपुर।

----प्रत्यर्थी

से संबद्ध

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5980/2021

1. महेंद्र कुमार सेठिया पुत्र श्री एस के सेठिया, उम्र लगभग 59 वर्ष, 402, सोल्ड स्पेस, सूर्य नगर, तिलक मार्ग, जयपुर-4।
2. प्रतीक सेठिया पुत्र महेंद्र कुमार सेठिया, उम्र लगभग 32 वर्ष, 402, सोल्ड स्पेस, सूर्य नगर, तिलक मार्ग, जयपुर-4।
3. निशांत जैन पुत्र भाग सिंह जैन, उम्र लगभग 27 वर्ष, 1090, श्याम अपार्टमेंट, रानी सती नगर, प्लॉट संख्या 301, जयपुर।
4. मैसर्स श्री साई लॉजिस्टिक्स, जी-6 रत्न सागर, ग्राउंड फ्लोर, एमएसबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर इसके मालिक श्री सुरेन्द्र शर्मा के माध्यम से।
5. विनोद कुमार शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा, उम्र लगभग 50 वर्ष, जी-6 रत्न सागर, ग्राउंड फ्लोर, एमएसबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), एनसीआर बिल्डिंग स्टैच्यू सर्कल, सी स्कीम, जयपुर

---प्रत्यर्थी

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5981/2021

1. दीपक अग्रवाल पुत्र श्री कुंज बिहारी अग्रवाल, उम्र लगभग 47 वर्ष, 1601 कचोलिया गली, छुआरा रास्ता, जयपुर।
2. अमित अग्रवाल पुत्र श्री कुंज बिहारी अग्रवाल, उम्र लगभग 44 वर्ष, 58 वर्ष, शांति निकेतन कॉलोनी, जयपुर।
3. सौयब खान पुत्र जफर खान, उम्र लगभग 27 वर्ष, मैं मकान, खड़ी वाली कोठी, शाही मस्जिद चौमू के पास, जयपुर।
4. मैसर्स श्री साई लॉजिस्टिक्स, जी-6 रत्न सागर, ग्राउंड फ्लोर, एमएसबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर इसके मालिक श्री सुरेन्द्र शर्मा के माध्यम से।

5. विनोद कुमार शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा, उम्र लगभग 50 वर्ष, जी-6 रत्न सागर, ग्राउंड फ्लोर, एमएसबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), एनसीआर बिल्डिंग स्टैच्यू सर्कल, सी स्कीम, जयपुर

----प्रत्यर्थी

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5984/2021

1. दीपक अग्रवाल पुत्र श्री कुंज बिहारी अग्रवाल, उम्र लगभग 47 वर्ष, 1601 कचोलिया गली, छुआरा रास्ता, जयपुर।
2. अमित अग्रवाल पुत्र श्री कुंज बिहारी अग्रवाल, उम्र लगभग 44 वर्ष, 58 वर्ष, शांति निकेतन कॉलोनी, जयपुर।
3. सौयब खान पुत्र जफर खान, उम्र लगभग 27 वर्ष, मैं मकान, खड़ी वाली कोठी, शाही मस्जिद चौमू के पास, जयपुर।
4. मैसर्स श्री साई लॉजिस्टिक्स, जी-6 रत्न सागर, ग्राउंड फ्लोर, एमएसबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर इसके मालिक श्री सुरेन्द्र शर्मा के माध्यम से।
5. विनोद कुमार शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा, उम्र लगभग 50 वर्ष, जी-6 रत्न सागर, एमएसबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), एनसीआर बिल्डिंग स्टैच्यू सर्कल, सी स्कीम, जयपुर

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री अरुण गोयल ने वी.सी. के माध्यम से।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान अकिल कुरेशी

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

निर्णय

रिपोर्टबल

प्रति माननीय श्री न्यायमूर्ति समीर जैन

निर्णय सुरक्षित करने की तारीख : 20.01.2022

निर्णय उच्चारित करने की तारीख : 9.02.2022

1. वर्तमान याचिकाओं के माध्यम से, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षेप में, 1962 का 'अधिनियम') की धारा 28 और 124 के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (डी.आर.आई.) के अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस (एस.सी.एन.) को चुनौती दी गई है। तात्कालिक मामलों में खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5928/2021 को मुख्य मामले के रूप में लिया गया है और 5980/2021, 5981/2021 और 5984/2021 को संबंधित मामलों के रूप में लिया गया है, क्योंकि मामलों में कारण और विवाद समान हैं।

2. याचिकाकर्तागण का तर्क यह है कि **मेसर्स कैन्नन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में बड़ी पीठ ने निर्णय सुनाया है।** सीमा शुल्क आयुक्त ने **ए.आई.आर. 2021 एससी 1699** में बताया कि यह माना गया है कि डी.आर.आई. के अधिकारी 1962 के अधिनियम की धारा 28 और 124 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने, मांग बढ़ाने/जब्त करने की कार्यवाही शुरू करने के लिए **"उचित अधिकारी"** नहीं हैं और उसके बाद की कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बिना और 1962 के अधिनियम के दायरे से बाहर है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह एक कस्टम हाउस एजेंट है और सह-याचिकाकर्ता जयपुर में सीमा शुल्क बंदरगाहों पर ग्लास चैटन के आयात में लगे आयातक थे। डी.आर.आई., जयपुर द्वारा संबंधित मामले में अतिरिक्त निदेशक, डी.आर.आई. (जोनल) यूनिट अहमदाबाद द्वारा एक जांच की गई थी, जिन्होंने जांच के बाद 1962 के

अधिनियम की धारा 28 के तहत सीमा शुल्क की मांग की और जब्त किए गए माल को जब्त करने और धारा के तहत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया। अधिनियम, 1962 की धारा 124, 112, 114ए कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.08.2014 को और संबंधित मामले में 2019 में जारी किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस को 15.03.2021 के आदेश के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में, जिरह का अधिकार दिए बिना, आयुक्त में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार किए बिना सुनाया गया था। **सीमा शुल्क बनाम सईद अली और अन्य (2011) 3 एससीसी 537 और कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा.)** में प्रकाशित मामले में यह माना गया है कि डी.आर.आई. अधिकारी उपयुक्त अधिकारी नहीं हैं और उनके द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस शुरू से ही अमान्य, अवैध हैं और इसमें अधिकार क्षेत्र का अभाव है और इस पर विचार नहीं किया गया है। उपरोक्त निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 का उल्लंघन है। इसी तरह का विवाद ऊपर उल्लिखित रिट याचिकाओं के समूह में उठाया गया था कि डी.आर.आई. अधिकारियों द्वारा 1962 के अधिनियम की धारा 124 के तहत जारी किया गया कारण बताओ नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना है।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थागण का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री किंशुक जैन ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि मूल आदेश पारित हो चुका है और याचिकाकर्तागण द्वारा अपील दायर की गई है। उनके अनुसार, यह कानून की स्थापित स्थिति है कि जहां वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, वहां रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उनके प्रस्तुतीकरण के अनुसार, **मेसर्स कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा.)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, डी.आर.आई. अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को अपास्त करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए पहले निर्णय प्राधिकारी से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि **कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा.)** का निर्णय अलग है क्योंकि वर्तमान मामला 1962 के अधिनियम की धारा 124 से संबंधित है, जिसमें माल की जब्ती शामिल है, जबकि मांग की वसूली के लिए उच्चतम न्यायालय का निर्णय 1962 के

अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों से संबंधित है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है, जिसमें संबंधित उच्च न्यायालयों ने प्रत्यर्थागण को कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा.) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। रिट याचिका संख्या 2582/2021 में जिसका शीर्षक वनीश सचदेवा बनाम भारत संघ के बॉम्बे उच्च न्यायालय, राजेश वेद प्रकाश बनाम एडीजी आरडब्ल्यूपी संख्या 19126- 28/2021 आदि है।

6. हमने याचिकाकर्तागण के साथ-साथ प्रत्यर्था-विभाग के संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है, रिट याचिका के रिकॉर्ड को स्कैन किया है और बार में उद्धृत निर्णयों का विश्लेषण किया है।

7. मुद्दे को गुणागुण के आधार पर संबोधित करने से पहले, रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रत्यर्था अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करना होगा। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के व्हरलपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स मुंबई के प्रसिद्ध निर्णय के अनुसार (1998) 8 एससीसी 1 में प्रकाशित जिसमें पैरा -15 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

“संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय को मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार है। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें से एक यह है कि यदि कोई प्रभावी और प्रभावकारी उपाय उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय आम तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन इस न्यायालय द्वारा वैकल्पिक उपाय को लगातार कम से कम तीन आकस्मिकताओं में बाधा के रूप में कार्य नहीं करने के लिए माना गया है, अर्थात्, जहां किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है या जहां उल्लंघन हुआ है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है। इस बिंदु पर बहुत सारे मामले हैं, लेकिन फॉरेंसिक भंवर के इस

दायरे को कम करने के लिए, हम संवैधानिक कानून के विकासवादी युग के कुछ पुराने निर्णयों पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे अभी भी क्षेत्र में हैं।

8. यह माना गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करना एक स्वयं लगाया गया प्रतिबंध है यदि याचिकाकर्ता व्यथित है और उसके पास प्रभावकारी और प्रभावी उपाय नहीं है, तो इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में, जब कोई हो। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या प्रत्यर्थी की कार्रवाई क्षेत्राधिकार के बिना है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, रिट न्यायालयों/संवैधानिक न्यायालयों का रिट याचिका पर विचार करना एक बाध्य कर्तव्य है।

9. मौजूदा मामले में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, मूल आदेश पारित किया गया था, अपील दायर की गई थी, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या डी.आर.आई. अधिकारी 1962 के अधिनियम के तहत उचित अधिकारी हैं और उनके पास जारी करने की शक्ति है। कारण बताओ नोटिस का विश्लेषण नहीं किया गया और इसे नजरअंदाज कर दिया गया, हालांकि, उक्त विवाद अब एकीकृत नहीं रह गया है। याचिकाकर्ता ने उक्त मुद्दे को विद्वान निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष भी उठाया है और **कैनन इंडिया (सुप्रा.)**, **सईद अली (सुप्रा.)** और **मेसर्स मंगली इम्पेक्स बनाम भारत संघ (2016-335 ईएलटी 605 डेल)** के निर्णय पर भरोसा जताया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि **कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा.)** का निर्णय 09.03.2021 को सुनाया गया था और ओआईओ 15.03.2021 को पारित किया गया था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया था, बल्कि ओआईओ के पैरा-28.1 के अनुसार निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

“मुझे लगता है कि विभाग द्वारा उपरोक्त निर्णय को एसएलपी(ग) संख्या 20453/2016 [अब सिविल अपील संख्या 6142/2019] के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने दिनांक 01.08.2016 के आदेश के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.05.2016 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्चतम न्यायालय ने मेसर्स मंगली इम्पेक्स बनाम के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के

निर्णय पर बिना शर्त रोक लगा दी है। भारत संघ (2016- 335 ईएलटी 605 डेल), उपरोक्त मामले के निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है।

10. बाध्यकारी परिस्थितियों में, जब पूरी कार्यवाही कारण बताओ नोटिस के माध्यम से शुरू की गई थी, जो डी.आर.आई. अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था, जिनके पास कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, जैसाकि उच्चतम न्यायालय ने कहा था, हम वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा उठाए गए वैकल्पिक उपाय पर तर्क पर विचार करना उचित समझते हैं।

11. याचिकाकर्ता अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस दलील के आधार पर कि कारण बताओ नोटिस और उसके बाद की पूरी कार्यवाही में अधिकार क्षेत्र का अभाव है, उन्होंने हमारा ध्यान कैन्नन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा.) के पैरा-16 से 23 की ओर आकर्षित किया, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

“16. इस स्तर पर, हमें यह भी जांचना चाहिए कि क्या डी.आर.आई. के अतिरिक्त महानिदेशक, जिन्होंने धारा 28(4) के तहत वसूली नोटिस जारी किया था, एक उचित अधिकारी भी थे। अतिरिक्त महानिदेशक को एक उचित अधिकारी तभी माना जा सकता है जब यह दर्शाया जाए कि वह सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक सीमा शुल्क अधिकारी था। इसके अलावा, उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 6 के तहत उचित अधिकारी के कार्य सौंपे गए थे। डी.आर.आई. के अतिरिक्त महानिदेशक को सीमा शुल्क अधिकारी तभी माना जा सकता है, जब उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया दिखाया गया हो।

17. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री संजय जैन ने अधिसूचना संख्या 17/2002-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 7.3.2002 पर भरोसा किया, यह दिखाने के लिए कि डी.आर.आई. के सभी अतिरिक्त महानिदेशकों को सीमा शुल्क आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रासंगिक समय में, केंद्र सरकार ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए

उपयुक्त प्राधिकारी थी। यह अधिसूचना दर्शाती है कि कॉलम (2) में उल्लिखित सभी अतिरिक्त महानिदेशकों को सीमा शुल्क आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

18. अगला कदम यह देखना है कि क्या डी.आर.आई. के अतिरिक्त महानिदेशक, जिन्हें दिनांक 7.3.2002 की अधिसूचना के तहत सीमा शुल्क के एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, को सीमा शुल्क के तहत एक उचित अधिकारी के रूप में धारा 28 के तहत कार्य सौंपा गया है। इस तर्क के समर्थन में कि उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 के तहत एक उचित अधिकारी के कार्यों को सौंपा गया है, श्री संजय जैन ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 40/2012 दिनांक 2.5.2012 पर भरोसा किया। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड अधिसूचना कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अधिसूचना के कॉलम (3) में निर्दिष्ट विभिन्न कार्य प्रदान करती है। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित होने के लिए] भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमा शुल्क (एन.टी.) नई दिल्ली , दिनांक 2 मई 2012 एस.ओ. (इ)।- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उप-धारा (34) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, कॉलम में उल्लिखित अधिकारियों के रैंक से ऊपर के अधिकारियों को नियुक्त करता है। (2) नीचे दी गई तालिका में, उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में दिए गए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की विभिन्न धाराओं के संबंध में उचित अधिकारियों के रूप में कार्य करता है: -

क्र.सं.	अधिकारियों के पदनाम	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा के तहत कार्य
1.	सीमा शुल्क आयुक्त	(i) धारा 33
2.	अतिरिक्त आयुक्त या सीमा शुल्क के संयुक्त आयुक्त	(i) धारा 46 की उपधारा (5); और धारा 149
3.	उप आयुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त और उत्पाद शुल्क आयुक्त	धारा 46 की उपधारा (5); और धारा 149 धारा 28;

19. ऐसा प्रतीत होता है कि सीमा शुल्क के एक उपायुक्त या सहायक आयुक्त को धारा 28 के तहत कार्य सौंपे गए हैं। ऊपर क्रमांक 3. इस तथ्य के कारण कि कार्य कॉलम (3) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों के रैंक से ऊपर के अधिकारियों को सौंपे गए हैं, सीमा शुल्क आयुक्त को एक अधिकारी के रूप में शामिल किया जाएगा जो इसके तहत कार्य करने का पात्र है। अधिनियम की धारा 28 एक उपायुक्त या सहायक आयुक्त को प्रदान की गई है लेकिन अधिसूचना गलत प्रतीत होती है। ऐसा माना जाता है कि यह अधिसूचना सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (34) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। यह धारा किसी प्राधिकारी को कोई भी कार्य अधिकारियों को सौंपने की शक्ति प्रदान नहीं करती है। उप-धारा अधिनियम की परिभाषा खंड का हिस्सा है, यह केवल एक उचित अधिकारी को परिभाषित करता है, यह इस प्रकार है: -

“2. परिभाषाएँ-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

... (34) इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के

संबंध में 'उपयुक्त अधिकारी' का अर्थ सीमा शुल्क अधिकारी है, जिसे बोर्ड या [प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या सीमा शुल्क आयुक्त] द्वारा उन कार्यों को सौंपा गया है। “

20. धारा 6 एकमात्र धारा है जो सीमा शुल्क अधिकारी के कार्यों को केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों को सौंपने का प्रावधान करती है, यह इस प्रकार है: -

“6. इस अधिनियम के तहत सीमा शुल्क का कोई भी अधिकारी बोर्ड और सीमा शुल्क अधिकारियों के कार्यों को कुछ अन्य अधिकारियों को सौंपना-केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को बोर्ड या सीमा शुल्क के किसी भी कार्य को सशर्त या बिना शर्त सौंप सकती है।

21. यदि यह इरादा था कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारी जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, उन्हें सीमा शुल्क अधिकारियों के कार्य सौंपे जाने चाहिए, तो यह जरूरी था कि केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा करना चाहिए था। केंद्र सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करने का कारण स्पष्ट है और ऐसा अतः है क्योंकि केंद्र सरकार वह प्राधिकारी है जो राजस्व खुफिया निदेशालय के दोनों अधिकारियों की नियुक्ति करती है, जिसे मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.12.1957 के तहत स्थापित किया गया है। वित्त और सीमा शुल्क अधिकारी, जो 11.5.2002 तक, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत उचित अधिकारी के रूप में कार्य सौंपने की अधिसूचना सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (34) के तहत गैर-मौजूदा शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी की गई है। अधिसूचना स्पष्ट रूप से अमान्य है क्योंकि यह एक ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिसके पास उस धारा के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है जो ऐसी कोई शक्ति

प्रदान नहीं करता है।

22. उपरोक्त संदर्भ में, [सीमा शुल्क आयुक्त बनाम सईद अली और अन्य](#) 5 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी होगा जिसमें न्यायक्षेत्र क्षेत्र के संबंध में उचित अधिकारी पर इस प्रकार विचार किया गया था:-

“16. यह प्रस्तुत किया गया था कि तत्काल मामले में, आयात घोषणा-पत्र और प्रवेश बिल अतिरिक्त कलेक्टर ऑफ कस्टम्स (आयात), मुंबई के समक्ष दायर किए गए थे; प्रवेश के बिल का विधिवत मूल्यांकन किया गया था, और छूट का लाभ आयातक द्वारा एक बांड के निष्पादन के अधीन बढ़ाया गया था, जिसे निर्यात के दायित्व को पूरा करते हुए विधिवत निष्पादित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निवारक कर्मचारियों का कार्य उन वस्तुओं तक ही सीमित है जो प्रकट वस्तुओं के संबंध में प्रकट नहीं होती हैं, जहां प्रवेश के बिल दायर किए जाने हैं, मूल्यांकन, निकासी आदि का पूरा कार्य किसके द्वारा किया जाता है सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) के अधीन कार्य करने वाले मूल्यांकन अधिकारी।

17. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का सर्वेक्षण करना समीचीन होगा। अधिनियम की [धारा 28](#), जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, उस शुल्क के भुगतान के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान करती है जिसका भुगतान नहीं किया गया है, या कम लगाया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, और यह प्रदान करता है:

“28. शुल्क, ब्याज आदि के भुगतान के लिए नोटिस - (1) जब कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, या जब कोई देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, आंशिक भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, तो उचित अधिकारी-

क) किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या सरकार द्वारा या किसी शैक्षिक, अनुसंधान 5 (2011) 3 एससीसी 537 या धर्मार्थ संस्थान या अस्पताल द्वारा एक वर्ष के भीतर किए गए किसी भी आयात के मामले में;

ख) किसी भी अन्य मामले में, प्रासंगिक तिथि से छह माह के भीतर, उस शुल्क या ब्याज के प्रभारी व्यक्ति को नोटिस दें जो लगाया या चार्ज नहीं किया गया है या जो इतना कम हो गया है-

लगाया गया है या आंशिक भुगतान किया गया है या जिसे रिफंड गलती से कर दिया गया है, उसे कारण बताने की आवश्यकता है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए:

बशर्ते कि जहां कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है या ब्याज नहीं लगाया गया है या आंशिक भुगतान किया गया है या मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाने के कारण शुल्क या ब्याज गलती से वापस कर दिया गया है। आयातक या निर्यातक या आयातक या निर्यातक के एजेंट या कर्मचारी द्वारा, इस उप-धारा के प्रावधान ऐसे प्रभावी होंगे जैसे कि 'एक वर्ष' और 'छह माह' शब्दों के लिए, 'पांच वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे।”

18. प्रावधान से यह स्पष्ट है कि 'उपयुक्त अधिकारी' अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर व्यक्तिपरक रूप से संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए किए गए आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है। व्यक्तिगत उपयोग या सरकार द्वारा या किसी शैक्षिक, अनुसंधान या धर्मार्थ संस्थान या अस्पताल द्वारा, एक वर्ष के भीतर और अन्य सभी मामलों में प्रासंगिक तिथि से छह माह के भीतर, आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर नोटिस की तामील की जा सकती है, जिससे उसे कारण बताने की आवश्यकता होगी। उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान नहीं करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान के तहत नोटिस

'उपयुक्त अधिकारी' द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

19. अधिनियम की धारा 2(34) एक 'उपयुक्त अधिकारी' को परिभाषित करती है, इस प्रकार:

2. परिभाषाएं

(34) इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में 'उपयुक्त अधिकारी' का अर्थ सीमा शुल्क का वह अधिकारी है जिसे बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा उन कार्यों को सौंपा गया है; यह प्रावधान पर एक नज़र डालने से ही स्पष्ट है केवल सीमा शुल्क के ऐसे अधिकारी जिन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, वे अधिनियम की धारा 2(34) के संदर्भ में 'उपयुक्त अधिकारी' होंगे। अतः, बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा विशिष्ट कार्य सौंपना यह निर्धारित करने के लिए शासकीय परीक्षण है कि क्या 'सीमा शुल्क अधिकारी' 'उपयुक्त अधिकारी' है।

20. अधिनियम की धारा 2(34) और 28 को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह पता चलता है कि केवल ऐसा सीमा शुल्क अधिकारी जिसे आयात से संबंधित अधिकार क्षेत्र में शुल्क के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। अधिनियम की धारा 2(34) के संदर्भ में, बोर्ड या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा प्रभावित किया गया है, अधिनियम की धारा 28 के तहत नोटिस जारी करने के लिए सक्षम है। धारा 28 का कोई भी अन्य पाठ अधिनियम की धारा 2(34) के प्रावधानों को समाप्त कर देगा, क्योंकि अधिनियम की धारा 2(34) के तहत विचार किया गया परीक्षण ऐसे कार्यों के विशिष्ट प्रदान का है।“

23. अतः, हम मानते हैं कि वर्तमान मामले में डी.आर.आई. के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा हमारे सामने आने वाले सभी मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करके शुरू की गई पूरी कार्यवाही कानून के किसी भी अधिकार के बिना अमान्य है और अपास्त किए जाने योग्य है और आगामी मांगों को भी अपास्त कर दिया गया है।

12. ऊपर उल्लिखित निर्णय के अवलोकन और धारा 2(34) के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए जो "उपयुक्त अधिकारी" को परिभाषित करता है, धारा 6 जो "कस्टम अधिकारी के कार्यों और शक्तियों" को परिभाषित करता है और धारा 28 जो "मांग और वसूली की प्रक्रिया" को संदर्भित करता है उपयुक्त अधिकारी के पास कारण बताओ नोटिस जारी करने और न्यायनिर्णयन करने का अधिकार क्षेत्र है, हम मानते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28/124 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने तक डी.आर.आई. के अधिकारियों द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही में अधिकार क्षेत्र का अभाव है और कानून के किसी भी अधिकार के बिना हैं क्योंकि वर्तमान कारण बताओ नोटिस कस्टम अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि डी.आर.आई. अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसे 1962 के अधिनियम की धारा 6 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए विशिष्ट कार्य/शक्ति नहीं सौंपी गई है। डी.आर.आई. अधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी करने और "उपयुक्त अधिकारी" के रूप में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। अधिनियम, जिस अधिसूचना पर भरोसा किया गया है, वह डी.आर.आई. अधिकारियों को 1962 के अधिनियम की धारा 28 के तहत कार्य करने के कार्यों और शक्तियों वाले "उपयुक्त अधिकारियों" के चार कोनों में परिभाषित नहीं करती है और न ही लाती है।

अतः उपरोक्त चर्चा के आलोक में उनके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि संबंधित मामलों में वर्तमान कारण बताओ नोटिस माल की जब्ती के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 124 के तहत जारी किया गया है और इसलिए कैन्नन इंडिया (सुप्रा) का निर्णय लागू नहीं होता है। यह उल्लेख करना भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि संबंधित मामलों में वर्तमान कारण बताओ नोटिस माल की जब्ती और अतः **कैन्नन इंडिया (सुप्रा.)** के निर्णय के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 124 के तहत जारी किया गया है। लागू नहीं है।

प्रत्यर्थी का उक्त तर्क भी मान्य नहीं है क्योंकि यह माना जाता है कि डी.आर.आई. अधिकारियों के पास 1962 के अधिनियम के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए अधिकार क्षेत्र का अभाव है, धारा 124 के तहत कार्यवाही भी अवैध और शून्य है। **मेसर्स रानी एंटरप्राइजेज बनाम पीसीसी, आईसीडी, पटपड़गंज में डब्ल्यूपी (ग) संख्या**

11721/2021 में आदेश दिनांक 12.10.2021 द्वारा, में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। जिसका पैरा 8 निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“8. यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के तहत 'उपयुक्त अधिकारी' के पहलू पर कानून की स्पष्ट व्याख्या और घोषणा के बावजूद, प्रत्यर्थागण के संबंधित अधिकारी ऐसा करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र होने के बिना बार-बार सामान जब्त कर रहे हैं। शायद, कैन्नन इंडिया (सुप्रा.) में दिए गए निर्णय को या तो संबंधित अधिकारियों ने पढ़ा नहीं है या सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा है। परिणामतः, यह न्यायालय एक ही मुद्दे पर मुकदमेबाजी से भर गई है और हम यह नहीं मान सकते कि यह माननीय उच्चतम न्यायालय के बाध्यकारी आदेश को लागू नहीं करने में प्रत्यर्थागण की कार्रवाई है, जो अनावश्यक मुकदमेबाजी को जन्म दे रही है।

13. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। कारण बताओ नोटिस द्वारा जारी की गई कार्यवाही और ओआईओ द्वारा पुष्टि की गई बाढ़ की मांगों को अपास्त कर दिया गया है, जैसाकि रिट याचिकाओं में प्रार्थना की गई है। जब्त किए गए माल की वापसी/जारी के माध्यम से परिणामी राहत, यदि कोई हो, की अनुमति है।

14. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

15. सभी लंबित आवेदनों का भी निस्तारण किया जाता है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

(अकिल कुरेशी), मुख्य न्यायाधीश

JKP/82-85

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए,

निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।